



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062025-264092
CG-DL-E-24062025-264092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2763]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947

No. 2763]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 जून, 2025

का.आ. 2829(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण" (पैन: AAAGF0023K) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2026-2027 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों से खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 68 /2025/फा. सं. 300195/12/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव